

## सामान्य एवं अस्थि दिव्यांग बालक बालिकाओं के सामाजिक एवं संवेगात्मक समायोजन का अध्ययन



### अमित्सौम्या

शोध छात्रा,  
गृहविज्ञान विभाग,  
लखनऊ विश्वविद्यालय,  
लखनऊ, उ.प्र., भारत



### वन्दना सिंह

रीडर,  
गृहविज्ञान विभाग,  
महिला महाविद्यालय,  
अमीनाबाद,  
लखनऊ, उ.प्र., भारत

### सारांश

“जब किसी कार्य को करने के तरीके में सामान्य व्यक्ति जैसी क्रिया नहीं दिखती अर्थात् कार्य करने में बाधा या क्षति पहुँचती है, अक्षमता कहलाती है।” इंटरनेशनल क्लासी फिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटीज एण्ड हैण्डिकैप्ड।

भारत में वर्ष 2001 में 2.19 करोड़ विकलांग थे जो वर्ष 2011 में 2.68 करोड़ हो गये। इनमें 1.5 करोड़ पुरुष एवं 1.18 करोड़ महिलायें थीं। 2001-2011 के मध्य 22.4% की दर से वृद्धि हुयी। यह वृद्धि शहरी क्षेत्रों तथा शहरी महिलाओं में अधिक हैं। समूचे दशक के दौरान शहरी क्षेत्रों में 48.2 प्रतिशत और शहरी महिलाओं में 55 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। अनुसूचित जातियों में विकलांगता की वृद्धि 2.45 प्रतिशत है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांगों की संख्या 268 लाख है। इनमें 149.9 लाख पुरुष और 118.2 लाख महिलायें हैं। इन विकलांगों में 186.3 लाख एवं लोग ग्रामीण क्षेत्र में तथा 81.8 लाख लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इनमें 134 लाख लोग रोजगार करने वाले आयु वर्ग के हैं। इनमें 88 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में और 46 लाख शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। इसकें अतिरिक्त विकलांगों में 146 लाख निरक्षर हैं। इस विशाल जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान देने की क्षमता को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु समायोजन आवश्यक है। अधिकांशतः देखा गया है कि जो बालक या बालिका दिव्यांग होते हैं। वे समायोजन का शिकार हो जाते हैं। जिसका प्रभाव उनके सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास पर पड़ता है। अतः आवश्यक है कि सही समय पर इन बालक-बालिकाओं का उचित निर्देशन व परामर्श द्वारा इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। प्रस्तुत पत्र इसी दिशा में किया गया एक छोटा प्रयास है।

**मुख्य शब्द** : दिव्यांग, सामाजिक, संवेगात्मक समायोजन।

### प्रस्तावना

“जब किसी कार्य को करने के तरीके में सामान्य व्यक्ति जैसी क्रिया नहीं दिखती अर्थात् कार्य करने में बाधा या क्षति पहुँचती है, अक्षमता कहलाती है।”

इंटरनेशनल क्लासी फिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटीज एण्ड हैण्डिकैप्ड।

भारत में वर्ष 2001 में 2.19 करोड़ विकलांग थे जो वर्ष 2011 में 2.68 करोड़ हो गये। इनमें 1.5 करोड़ पुरुष एवं 1.18 करोड़ महिलायें थीं। 2001-2011 के मध्य 22.4% की दर से वृद्धि हुयी। यह वृद्धि शहरी क्षेत्रों तथा शहरी महिलाओं में अधिक हैं। समूचे दशक के दौरान शहरी क्षेत्रों में 48.2 प्रतिशत और शहरी महिलाओं में 55 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। अनुसूचित जातियों में विकलांगता की वृद्धि 2.45 प्रतिशत है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांगों की संख्या 268 लाख है। इनमें 149.9 लाख पुरुष और 118.2 लाख महिलायें हैं। इन विकलांगों में 186.3 लाख एवं लोग ग्रामीण क्षेत्र में तथा 81.8 लाख लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इनमें 134 लाख लोग रोजगार करने वाले आयु वर्ग के हैं। इनमें 88 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में और 46 लाख शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। इसकें अतिरिक्त विकलांगों में 146 लाख निरक्षर हैं। इस विशाल जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान देने की क्षमता को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। ( दास वर्ष 2016 )

## तालिका

## भारत में विकलांगता के प्रकार तथा विकलांग (2011)

प्रकार	व्यक्ति	प्रतिशत	पुरुष	प्रतिशत	महिलायें	प्रतिशत
देखने में	5032463	18.77	2638516	17.61	2393947	20.25
सुनने में	5071007	18.91	2677544	17.61	2393463	20.24
बोलने में	1998353	7.45	1122896	7.49	875639	7.41
गतिशीलता में	5436604	20.28	3370374	22.49	2066230	17.47
मा0 विकल्पिता	1505624	5.62	870708	5.81	634916	5.37
मा0 कमजोरी	722826	2.70	415732	2.77	307094	2.60
अन्य	4927011	18.38	2727828	18.20	2199183	18.60
एकाधिक						
विकलांगता	2116487	7.89	1162604	7.76	953883	8.07
कुल	26810557	100.00	14986202	100.00	11824355	100.00

(स्रोत— भारत की जनगणना 2011)

यदि विकलांगता के प्रकारों के आधार पर देखा जाए तो सर्वाधिक (20.28%) विकलांग शारीरिक अपंग श्रेणी के हैं।

भारत सरकार सामाजिक आर्थिक समावेश सहित समान अवसर प्रदान करने हेतु विकलांग व्यक्तियों के लिए चार अधिनियम पारित किये हैं।

1. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992
2. विकलांग व्यक्ति (पी0डब्ल्यू0डी0एस0) कल्याण अधिनियम 1995
3. ऑटिज्म, सेरेब्रल पालसी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999
4. दिव्यांगसन अधिकार अधिनियम, 2016।

**अस्थि विकलांगता**

अस्थि विकलांगता (चलन या गतिज)— राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, 2002 (58 वॉ दौर) के अनुसार एक व्यक्ति (A) के विविध क्रियाकलाप जो उसे स्वयं अथवा किसी वस्तु के साथ एक कमी को प्रदर्शित करता है।

(B) शारीरिक विकृति जो कि हाथों, पैरों या दोनों के इधर हो, किन्तु उसके फलस्वरूप शरीर की सामान्य गति शीलता प्रभावित होती है। उन्हें गतिज विकलांगता सम्बन्धी विकलांग माना जायेगा।

**दिव्यांग बच्चों का सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास**

विकास निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास गर्भ में हो या परिपूर्ण व्यक्ति का, उसका एक सतत् प्रवाह होता है। विकास की भाषा, गति, संस्कृति, समाज तथा मस्तिष्क की सीमा के दायरों में बाँधा नहीं जा सकता। विकास सर्वांगीण होता है। सर्वांगीण विकास का मूल मंत्र है भाव या संवेग। संवेग अभिव्यक्ति को स्वर देते हैं।

**संवेगात्मक विकास**

संवेग मे अभिप्राय एक ऐसी विशेष भावात्मक अनुभूति से है, जिसकी उपस्थिति का अहसास शरीर में होने वाले आंतरिक परिवर्तनों एवं बाहर दिखाई देने वाले विशेष लक्षणों से प्रतीत होता है तथा वशीभूत व्यक्ति एक विशेष प्रकार का व्यवहार करते हुए पाया जाता है। (मंगल-2014)

संवेगात्मक विकास का अभिप्राय बच्चों की भय, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, स्नेह वात्सल्य, शर्मिलापन,

झल्लाअट, आक्रामकता आदि मूल प्रवृत्तियों तथा संवेगों के क्रमिक परिवर्तनों से है। व्यक्ति रोजाना की जिन्दगी में सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या घृणा आदि का अनुभव करता है। यह अवस्था संवेग कहलाती है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। इसी अर्थ में संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। (गेलडार्ड 1963)

**सामाजिक विकास**

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज में रहकर ही उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। जन्म से तो मनुष्य प्राणी मात्र होता है। मानव समाज में रहकर ही वह अपनी वास्तविक प्रवृत्तियों का मानवीकरण करता है। सामाजिक विकास से ही व्यक्ति अपनेक अपरिपक्व संवेगो तथा प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाता है। सामाजिक विकास या समाजीकरण मानव, वृद्धि और विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। (बिष्ट, 2011)

सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने समूह विशेष में अपना ठीक प्रकार से समायोजन करने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक ज्ञान, कौशल और अभिव्यक्तियों को अर्जित कर पाता है। किसी समाज की स्थायी अभिवृत्तियों, विश्वास रीतियों, मान्यतायें आदि उस समाज की संस्कृति का निर्माण करती हैं। सामाजिक व्यवहार का निर्धारण करने में पुरुस्कार, दण्ड, प्रशंसा, निन्दा, तथा आत्मसम्मान के स्थायी भाव का अत्यधिक हाथ रहता है। (मंगल-2014)

**अध्ययन की आवश्यकता**

विकलांगों के कल्याण की राह में सबसे बड़ी बाधा समाज में विकलांगता के प्रति व्याप्त अंधविश्वास और अज्ञानता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगता का प्रतिशत शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है। कारण गरीबी, कुपोषण और पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है। आज भी हमारे देश में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, उचित पोषण और सुरक्षित प्रसव की सुविधाओं का अभाव है, ऐसी स्थिति में जन्म लेने वाले बच्चे में विकलांगता की सम्भावना कई गुना बढ़ जाती है। (गुप्ता 2015)

दिव्यांगजनों को व्यवहारिक, शारीरिक और सामाजिक स्तर पर बाधाओं की विस्तृत श्रृंखला का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका सामाजिक तथा संवेगात्मक

समायोजन एवं विकास प्रभावित होता है। दिव्यांग बच्चों का सामाजिकरण अनिवार्य है। इसके लिए इन्हें अवसर प्रदान किये जाने चाहिए जिससे वह हमारे तथा अन्य लोगों से हिल मिल सकें। दिव्यांग बच्चे दया नहीं अपितु सहानुभूति तथा उचित अवसर के योग्य हैं। ऐसे बच्चे एक क्षेत्र में अक्षम होते हुए भी अन्य कुछ योग्यतायें तथा विशेषतायें रखते हैं। (शर्मा 2009)

व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु समायोजन आवश्यक है। अधिकांशतः देखा गया है कि जो बालक या बालिका विकलांग होते हैं। वे समायोजन का शिकार हो जाते हैं। जिसका प्रभाव उनके सा0 तथा संवेगात्मक विकास पर पड़ता है। अतः आवश्यक है कि सही समय पर इन बालक-बालिकाओं का उचित निर्देशन व परामर्श द्वारा इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। प्रस्तुत पत्र इसी दिशा में किया गया एक छोटा प्रयास है।

### अध्ययन के उद्देश्य

1. अस्थि विकलांग बच्चों की विभिन्न मनोवृत्तियों तथा उनकी समस्याओं का अध्ययन करना।
2. अस्थि विकलांग बच्चों के संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास में परिवार, विद्यालय तथा अन्य संस्थाओं की भूमिका का अध्ययन करना।
3. सामान्य तथा अस्थि विकलांग बच्चों के संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास का अध्ययन करना।
4. सामान्य एवं विशिष्ट विद्यालयों में अध्ययनरत अस्थि विकलांग बच्चों में सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास का अध्ययन करना।

### अध्ययन प्रविधि

अध्ययन हेतु द्वितीयक सामग्री का प्रयोग किया गया है। जिसके लिए पुस्तकों, विभिन्न शोधपत्रों, सामाजिक कार्यों की रिपोर्ट तथा इण्टरनेट से प्राप्त जानकारी आदि का प्रयोग किया गया है।

### साहित्यावलोकन

दलाल 2000 ने शारीरिक रोग एवं विकलांगता से पीड़ित रोगियों की अपनी स्वास्थ्य समस्या विकलांगता के कारणों के प्रति सोच का अध्ययन किया है। अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश रोगी अपनी शारीरिक समस्या, विकलांगता के लिए अपने पूर्व जन्म के कर्मों या भाग्य को दोषी मानते हैं।, लेकिन शारीरिक समस्या विकलांगता से मुक्ति के लिए कर्म भाग्य से अधिक चिकित्सकों पर भरोसा करते हैं। इन रोगियों में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से, गरीब तथा अशिक्षित व्यक्ति थे।

दलाल तथा अन्य 2003 ने विकलांगता के प्रति विकलांगों के परिवार के सदस्यों एवं समुदाय की सोच का अध्ययन किया है। इस अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश उत्तरदाता जिनमें विकलांगजन, उनके - परिवार के सदस्य तथा समुदाय के सदस्य सम्मिलित थे, शारीरिक निःशक्तता। विकलांगता के लिए परालौकिक कारणों को उत्तरदायी मानते हैं।

केवट 2009 केवट ने समेकित शिक्षा के अर्न्तगत सामान्य एवं विशेष विद्यालयों में अध्ययनरत विकलांग विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं उनके सामाजिक समायोजन का अध्ययन किया अध्ययन में पाया गया कि विशेष विद्यालय में अध्ययनरत अस्थि विकलांग विद्यार्थियों

की शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान 61.88 एवं सामान्य विद्यालय के अस्थि विकलांग विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान 61.98 है अर्थात् सामान्य एवं विशिष्ट विद्यालयों में अध्ययनरत अस्थि विकलांग विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। इसी तरह सामान्य विद्यालय के अस्थि विकलांग विद्यार्थियों का सामाजिक समायोजन का मध्यमान 36.89 तथा विशिष्ट विद्यालयों के अस्थि विकलांग विद्यार्थियों का सामाजिक समायोजन में भी विशेष सार्थक अन्तर नहीं है।

सिंघल (2013) ने विकलांग बच्चों की शिक्षा के सन्दर्भ में अध्ययन किया। अध्ययन में यह तथ्य सामने आये कि शिक्षकों के सीमित अनुभव और अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण विकलांग बच्चों से उनका रचनात्मक संवाद नहीं हो पाता और न ही उनके सामने बेहतर उदाहरण प्रस्तुत हो पाता है। ये बच्चे अपने जीवन को सार्थक बनाने से वंचित ही रह जाते हैं।

पाण्डेय (2015) ने शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर सामाजिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया है। अध्ययन में पाया गया कि शारीरिक रूप से वंचित बालकों का सामाजिक वातावरण एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक सहसम्बन्ध है।

शुक्ला (2015) ने सामान्य एवं अस्थि विकलांग विद्यार्थियों सा0 एवं संवेगात्मक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन किया विद्यार्थियों का मध्यमान 35.02 और मानक विचलन 4.39 है तथा अस्थि विकलांग विद्यार्थियों का मध्यमान 33.50 और मानक विचलन 6.283 है तथा दोनों का मानक त्रुटि-1.19 और टी मान 1.61 है। यह भी सार्थकता स्तर 0.05 पर सार्थक नहीं है तथा सामाजिक समायोजन में भी दोनों की मानक त्रुटि 1.28 और टी मान 2.28 है। जो सार्थकता स्तर पर 0.05 पर सार्थक है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि सामान्य व अस्थि विकलांग बच्चों के समायोजन में अन्तर है।

लिमये 2016 ने विकलांगजनों के सामाजिक समावेशन हेतु सरकारी रणनीतियों का विश्लेषण करते हुए कहा है कि सरकार अलग-अलग विकलांगता वाले लोगों के लिए उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने सम्बन्धी सरकारी नीतियों को बनाते समय या उन्हें लागू करने के दौरान विकलांग समूहों को न तो तवज्जो देती है और न ही उन्हें शामिल करती है।

शुक्ला (2016) ने सामान्य एवं मूक बाधिर विद्यार्थियों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन किया। निष्कर्ष में स्पष्ट था कि सामान्य विद्यार्थी मूक बाधिर की तुलना में अधिक समयोजित हैं तथा सामान्य विद्यार्थियों का शैक्षिक समायोजन भी उत्तम है।

मेनारिया एवं बाबल ने (2017) ने राजस्थान के जोधपुर जिले के माध्यमिक विद्यालयों में सामान्य एवं अस्थि दिव्यांग विद्यार्थियों के आत्मविश्वास एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा का तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन में उन्होंने निष्कर्ष रूप में पाया कि सामान्य तथा अस्थिदोष दिव्यांग विद्यार्थियों के आत्मविश्वास तथा उपलब्धि अभिप्रेरणा में सार्थक अन्तर नहीं है।

शेखावत तथा माथुर नें (2018) में शारीरिक चुनौतीयुक्त विद्यार्थियों में कुसमायोजन के कारणों का पता

लगाने के लिए शारीरिक चुनौतीयुक्त छात्र छात्राओं के समायोजन व स्वबोध का अध्ययन किया है। यह अध्ययन उन्होंने राजस्थान के जोधपुर तथा भीलवाड़ा जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालय में 180 बच्चों (107 छात्र 73 छात्राओं) पर किया। अध्ययन में पाया गया है कि शारीरिक चुनौतीयुक्त छात्र छात्राओं के समायोजन में सामान्य की अपेक्षा सार्थक अन्तर है।

हेन्दी एवं अन्य (2018) ने मुख्यधारा और विशेष स्कूलों में शारीरिक अस्थि विकलांगता के साथ 7-12 वर्षीय छात्रों की व्यवहार सम्बन्धी समस्याओं और क्षमताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया है। विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के इस अध्ययन में 247 विद्यार्थी (153 विशेष 67 छात्राये 86 छात्र) और (सामान्य 94 41 छात्राये, 53 छात्र) सम्मिलित थे। अध्ययन में पाया गया कि शारीरिक अस्थि दिव्यांग छात्रों की व्यवहार सम्बन्धी समस्यायें मुख्यधारा के स्कूलों में कम हैं जो विशेष स्कूलों में अपने साथियों की तुलना में अधिक मजबूत व्यवहार कौशल का संकेत देते हैं। अतः नियमित स्कूलों में विशेष जरूरतों वाले छात्रों की शिक्षा को स्वीकृत करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

#### निष्कर्ष

सम्बन्धित साहित्य के उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि शोधकर्ताओं द्वारा द्विव्यांगों के सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास से सम्बन्धित आनुभाविक अध्ययन बहुत कम किया गया है, परन्तु ये अध्ययन यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि अस्थि दिव्यांग बालक बालिकाओं का सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास सामान्य बच्चों की तरह ही होता है परन्तु जो बच्चों सामान्य विद्यालयों में अध्ययन करते हैं उनका विकास विशेष विद्यालय में अध्ययनरत् बच्चों से अधिक बेहतर रहता है। अतः यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अस्थि दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही सामान्य विद्यालयों में शिक्षा दी जाए एवं उनसे सामान्य व्यवहार किया जाए।

#### सन्दर्भ ग्रंथ सूची

- केवट आर. एन. 2009. "समेकित शिक्षा के अन्तर्गत सामान्य एवं विशेष विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों एवं सामाजिक समायोजन का अध्ययन" परिप्रेक्ष्य वर्ष-16, अंक-1, अप्रैल, प्र 109-114 .
- गुप्ता, कुलदीप कुमार, 2015 "ए कम्परेटिव स्टडी अबाउट दि एडजस्टमेंट ऑफ नार्मल एण्ड फिजिकली चैलेन्जड स्टूडेन्ट्स इन दि मेट्रो सिटी ऑफ कानपुर" आई. जे. ए. एच. एम. एस., वा0-1, नॉ-12, दिसम्बर. प्र 37-44
- दास, पी0 सी0 2016 "विकलांगों के लिए वित्तीय समावेशन योजना", वर्ष-60, अंक-5, मई, प्र 19-21
- दयाल एस. के. 2000 "लिविंग विथ ए क्रॉनिकल डिजीज: हीलिंग एण्ड साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट इन इण्डियन सोसायटी" साइकोलॉजी एण्ड डेवलपिंग सोसायटीज वा-12 पृष्ठ 67-82.
- दयाल एस. के. पाण्डे एन. धवन, एन. एण्ड द्विजेन्द्र डी0 2003 दि माइण्ड मेटर्स: डिसेबिलिटीज एटीच्यूड

एण्ड कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पब्लिकेशन, इलाहाबाद।

पाण्डेय आर. के. 2015 "शारीरिक रूप से वंचित बालकों की शैक्षिक उपलब्धि पर सामाजिक वातावरण का प्रभाव दि ओपीनियन, वा0-4, नॉ-8 जुलाई दिसम्बर।

बिष्ट, ए. वी. 2011 बाल विकास अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।

भारत सरकार 2015 योजनाओं का सार संग्रह विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। मंगल एस.के. 2014. शिक्षा मनोविज्ञान. पी0एच0आई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

मेनारिया एस0 एवं बाबल जे0. 2017. "उच्चमाध्यमिक स्तर के सामान्य एवं अस्थिदोष दिव्यांग विद्यार्थियों के आत्मविश्वास एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा का तुलनात्मक अध्ययन." इन्वेंशनस दि रिसर्च कंसेप्ट वा0-2 इश्यू-11, दिसम्बर प्र 182-186.

लिमये संख्या, 2016 "विकलांग जनों का सामाजिक समावेशन: मुद्दे और रणनीतियाँ, योजना वर्ष-60, अंक-5, मई, प्रष्ठ-25-27 .

शुक्ला संजीव कुमार, 2015 "सामान्य एवं अस्थि विकलांग विद्यार्थियों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन" परिप्रेक्ष्य, वर्ष-22, अंक-2, अगस्त, पृष्ठ-91-102 .

शुक्ला संजीव कुमार, 2016 "विद्यालयों में सामान्य एवं मूक बधिर विद्यार्थियों का समायोजन: ग्वालियर जनपद का केस अध्ययन" परिप्रेक्ष्य वर्ष-23 अंक-2 अगस्त प्रष्ठ 105-112 .

शेखावत जी0 एस0 एवं माथुर आर0 एल0 2018 "शारीरिक चुनौतीयुक्त विद्यार्थियों के समायोजन एवं स्वबोध का अध्ययन" श्रृंखला एक शोधपरक वैचारिक पत्रिका, वा0-5, इश्यू-5, जनवरी, प्र 11-16 .

शर्मा वाय0 के0 2009 शारीरिक रूप से विकलांग बालक,कनिष्क पब्लिकेशन दिल्ली।

सिंहल निधि, 2013, "विकलांग बच्चों की शिक्षा" योजना वर्ष,-57. अंक-4, अप्रैल. प्र 21-23 .

हेन्दी टी, हेम्मती जी0 एस0, अदिबसेरेस्की, एन0 तेमौरी, आर0 एण्ड हुसैनजादा एस0, 2018. कम्परीजन ऑफ बिहैविरल प्राब्लम्स एण्ड स्किल्स ऑफ 7-12 इयर ओल्ड स्टूडेन्ट्स विद ए फिजिकल मोटर डिसेबिलिटी एट मेनस्ट्रीम एण्ड स्पेशल स्कूल्स. "ईरानियन रिहैबिलिटेशन जर्नल, वा0-16 इश्यू - 1, प्र 91-102 .